न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
108/2019

तारीख दायरा
09.09.2019

तारीख फैसला
11.02.2023

उनवान

1– रासबिहारी उर्फ भगवती प्रसाद आत्मज हंसराज जाति अहीर निवासी बोरखेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर वेष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 96 , व पुराना नं0 24 पर खसरा नम्बर 181 की 0.91 हेक्टर भूमि वाके ग्राम बोरखेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071– 2074 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रास बिहारी के स्थान पर भगवती प्रसाद अंकित हो गया है। जो गलत है।

यह कि वादी का बोलता नाम भगवती प्रसाद है, ओर वादी के पहचान पत्र वोट आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक , पेन कार्ड में वादी का नाम रास बिहारी अंकित है। इस कारण वादी को बैंक से ऋण आदि लेने में भी असुविधा हो रही है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पर रासबिहारी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 29.08.2019 को निवेदन करने पर मना कर दिया, जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

अतः वादी ने निवेदन किया है कि वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 96 , व पुराना नं0 24 पर खसरा नम्बर 181 की 0.91 हेक्टर भूमि वाके ग्राम बोरखेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पर रासबिहारी अथवा रास बिहारी उर्फ भगवती प्रसाद दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि खाते में दर्ज नाम भगवती प्रसाद व रासबिहारी एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र एवं सहखातेदार राजकंवर बाई पुत्री हंसराज जो कि वादी की बहिन है, का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल मिसल है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 96 , व पुराना नं0 24 पर खसरा नम्बर 181 की 0.91 हेक्टर भूमि वाके ग्राम बोरखेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पर रासबिहारी उर्फ भगवती प्रसाद पुत्र हसराज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

Shomdra

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

सदस्य
विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– रासबिहारी उर्फ भगवती प्रसाद आत्मज हंसराज जाति अहीर निवासी बोरखेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा (वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर वेष्णव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 108/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 96 , व पुराना नं0 24 पर खसरा नम्बर 181 की 0.91 हेक्टर भूमि वाके ग्राम बोरखेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी का नाम भगवती प्रसाद पुत्र हंसराज के स्थान पर रासबिहारी उर्फ भगवतीप्रसाद पुत्र हंसराज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 11.02.2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज0)